

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (विविध)-22/2022
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/
जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/
जिला शिक्षा अधीक्षक/सिविल सर्जन
खूँटी एवं राँची।

विषय:- राँची, दिनांक:-
आयोग के खूँटी एवं राँची जिलों के भ्रमण के दौरान दिये गये निदेशों
के अनुपालन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय
अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा दिनांक-04.10.2023 एवं दिनांक-05.10.2023 को खूँटी एवं राँची जिलों
का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत
संचालित योजनाओं की सुनवाई/जनसुनवाई एवं इन जिलों के विभिन्न पंचायतों के मुखियागण के
साथ संवाद किया गया। भ्रमण के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर
कार्रवाई हेतु आपको निर्देश दिये गये हैं।

अतः आयोग के दिनांक-04.10.2023 एवं दिनांक-05.10.2023 के खूँटी एवं राँची
जिला भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए निदेशित किया
जाता है कि आयोग के भ्रमण के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन से
संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया
जाय।

अनु0-खूँटी एवं राँची जिला भ्रमण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक:-

ज्ञापांक:- रा0खा0आ0 (विविध)-22/2022

प्रतिलिपि:-उपायुक्त, राँची एवं खूँटी को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक:- 11.12.2023

ज्ञापांक:- रा0खा0आ0 (विविध)-22/2022 - 1014
प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले
विभाग/महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।